राजस्थान सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर–302015

फोन नम्बर 0141–2973804 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

दिनांक :– 11/7/19

क्रमांक : पैरामेडि.कौं/संस्था./2019/1897

परिपत्र

राज्य में राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से संबद्ध पैरामेडिकल कॉलेज/संस्थानों में गत वर्षों में अभ्यर्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत अत्यन्त कम रहा है, जिसका एक कारण इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम का नहीं होना है, जिससे कौंसिल के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के मूलभूत उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इन संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किये जाने के लिए कतिपय प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें संबंधित कॉलेजों/संस्थानों का सहयोग अपेक्षित है, ताकि कौंसिल अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो सके।

अतः समस्त संबद्ध व मान्यताप्राप्त पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से अनुरोध है कि वे प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देशों की पालना हेतु सहयोग प्रदान करें–

1. कौंसिल की वैबसाइट पर उपलब्ध एकेडमिक कलेण्डर वर्ष 2019–20 के अनुसार प्रशिक्षण schedule का पालन किया जावे।
2. प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने व समय–समय पर छात्र–छात्राओं में पाठ्यक्रम की समझ का मूल्यांकन किये जाने हेतु समय–समय पर Internal Assement किया जावे तथा कौंसिल की मुख्य परीक्षा से पूर्व Pre RPMC Examination भी संबंधित कॉलेज/संस्थान द्वारा आयोजित किया जावे।
3. समस्त शैक्षणिक स्टाफ की सूची निर्धारित प्रपत्र में कौंसिल को उपलब्ध कराई जावे। किसी स्टाफ सदस्य के त्यागपत्र देने की स्थिति में त्यागपत्र की प्रति, नवीन स्टाफ का आवेदन व नियुक्ति पत्र की प्रति आगामी माह की प्रथम दिनांक को उपलब्ध करावें, जिससे कौंसिल का रिकॉर्ड अद्यतन रखा जा सके। बिना सूचना के पूर्व में दी गई सूचना में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।
4. समस्त कॉलेज/संस्थान अपनी वैबसाइट पर कौंसिल की वैबसाइट www.rajasthanparamedicalcouncil.org का लिंक भी यथास्थान उपलब्ध करावें। साथ ही अपनी वैबसाइट पर समस्त सूचनाएं नियमित रूप से अद्यतन रखें।
5. समस्त कॉलेज/संस्थान प्रत्येक तिमाही में छात्र–छात्राओं के सत्रवार सैद्धान्तिक व प्रयोगिक प्रशिक्षण के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति प्राचार्य से सत्यापित करवाई जाकर scan कर कौंसिल को नियमित रूप से प्रेषित करावें।
6. कॉलेज/संस्थान में शैक्षणिक स्टाफ के लिए फोटोयुक्त Biometric Attendance System स्थापित किया जाकर इसका रिकॉर्ड संबंधित कॉलेज/संस्थान की वैबसाइट पर प्रतिदिन अद्यतन रखी जावे तथा इसकी प्रति रिकॉर्ड में संधारित की जावे।
7. कॉलेज/संस्थान के प्रत्येक क्लासरूम तथा लैबोरेटरी में CCTV Camera स्थापित किये जावें तथा इसकी Live Feed प्रतिदिन कौंसिल को Live streaming किये जाने की व्यवस्था करावें। इस CCTV data का Backup रिकॉर्ड में संधारित किये जावे।
8. कॉलेज/संस्थान अपने संस्थान परिसर के बाहर स्पष्टतया नजर आने वाले अपने संस्थान के नाम के बोर्ड स्थापित करना सुनिश्चित करावें, जिसमें संस्थान की समस्त सूचना यथा पता, फोन नम्बर, वैबसाईट एड्रेस, ईमेल एड्रेस आदि स्पष्टतया अंकित हो तथा इसकी फोटो संस्थान की वैबसाइट के होमपेज पर रखें तथा प्रति कौंसिल को भिजवायें।

11/7/19

9. कॉलेज/संस्थान से संबद्ध लैब/अस्पताल में प्रतिदिन होने वाली विभिन्न जाँचों की संख्या का विवरण जाँच के प्रकार के अनुसार दैनिक रूप से संधारित किया जाकर प्रतिमाह संकलित सूचना कौंसिल को भिजवायें।
10. प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिए प्राचार्य व प्रशिक्षण स्टाफ का नियमित रूप से संस्थान में एकेडमिक कलेण्डर के अनुसार उपलब्ध होना अत्यन्त आवश्यक है, अतः इसे सुनिश्चित किये जाने हेतु इनके अवकाश पर होने की स्थिति में सूचना कौंसिल को ईमेल पर उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करावें। बिना सूचना इनकी अनुपस्थिति को अनुमत नहीं किया जावे। साथ ही यह समस्त रिकॉर्ड (अवकाश प्रार्थना पत्र/उपस्थिति पंजिका आदि) कॉलेज/संस्थान की संस्थापन शाखा द्वारा अद्यतन रखा जावे।
11. प्रशिक्षण संचालन में जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त कॉलेज/संस्थान कार्यालय में कार्यालय समय में फोन पर एक जिम्मेदार व विज्ञ कार्मिक की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। कार्मिक का नाम व मोबाइल नम्बर कौंसिल को उपलब्ध कराया जावे।
12. पत्राचार में प्रामाणिकता स्थापित किये जाने हेतु कॉलेज/संस्थान कौंसिल को प्राचार्य के नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करावें। प्राचार्य के बदले जाने की स्थिति में नवीन प्राचार्य के नमूना हस्ताक्षर कौंसिल को तत्समय ही प्रेषित करावें।

समस्त कॉलेज/संस्थान प्रशिक्षण संचालन में गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रामाणिकता व जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने हेतु उपर्युक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कर कृत कार्यवाही व वांछित सूचना से आगामी 15 दिवस में कौंसिल को अवगत करावें।

11/7/19

(सोमदत्त दीक्षित)
रजिस्ट्रार

क्रमांक : पैरामेडि.कौं/संस्था./2019/1897 दिनांक :– 11/7/19

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
2. प्राचार्य, समस्त संबद्ध व मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज/संस्थान, राजस्थान उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें
3. परीक्षा नियंत्रक, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
4. मान्यता शाखा, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
5. संस्थापन शाखा, कार्यालय हाजा संबंधित कॉलेजों/संस्थानों से नियमित प्राप्त सूचना संकलित कर नियमित रूप से प्रस्तुत करें
6. रक्षित पत्रावली

11/7/19
रजिस्ट्रार